



म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युतवितरणकंपनीलिमिटेड



समाचार


म.प्र.विद्युत नियामक आयोग द्वारा
बिजली दर निर्धारण हेतु जनसुनवाई तरंग आडीटोरियम में
आपत्तिकर्ताओं को पक्ष रखने का अवसर

जबलपुर, 02 जुलाई 2019

म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु सकल राजस्व आवश्यकता की पूर्ति एवं विद्युत दरों के निर्धारण के लिए दायर याचिका पर, म.प्र.विद्युत नियामक आयोग द्वारा जनसुनवाई का आयोजन 2 जुलाई 2019 को प्रातः 11 बजे से तरंग आडीटोरियम जबलपुर में किया जाएगा। जनसुनवाई में आपत्तिकर्ताओं को उनका पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु बिजली दरों का निर्धारण करने के लिए म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा दायर याचिका के प्रस्तावों को आयोग द्वारा सार्वजनिक सूचना के माध्यम से प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जा चुका है तथा इसे आयोग की वेबसाइट पर भी अपलोड कराया गया है। आम नागरिकों एवं विभिन्न संगठनों द्वारा इन प्रस्तावों के संबंध में आयोग को आपत्तियां भेजी गई हैं। आपत्तिकर्ताओं की सुविधा के लिए आयोग द्वारा जबलपुर में 2 जुलाई को तरंग आडीटोरियम में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया है।

समाचार क्रमांक : 28


(के.पी.श्रीवास्तव)
जनसंपर्क अधिकारी